राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 46 / 2018

1. सुलतान पुत्र स्योनारायण आयु 68 साल
2. प्रभु पुत्र स्योनारायण आयु 60 साल
3. जयमल पुत्र स्योनारायण आयु 55 साल
4. हेमराज पुत्र स्योनारायण आयु 45 साल जाति गुजरान निवासी माताजी की ढाणी तन् जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. प्रभाती पत्नी सोहन लाल आयु 80 साल
2. बनवारी लाल पुत्र सोहन लाल आयु 66 साल
3. किशन लाल पुत्र सोहनलाल आयु 55 साल
4. मामचन्द पुत्र सोहनलाल आयु 45 साल
5. मेवा पुत्री सोहनलाल आयु 60 साल
6. रतनी पुत्री सोहनलाल आयु 52 साल
7. कमला पुत्री सोहनलाल आयु 48 साल जाति गुजरान निवासी माताजी की ढाणी तन् जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. श्रीराम पुत्र मूला आयु 78 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी चनेजा, जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. भीखाराम पुत्र हरदयाल आयु 40 साल
10. गोमाराम पुत्र हरदयाल आयु 38 साल
11. बल्लाराम पुत्र हरदयाल आयु 35 साल
12. यादराम पुत्र हरदयाल आयु 31 साल

} जाति गुर्जर निवासी ढाणी चनेजा की जसरापुर तहसील खेतड़ी

13. गायत्री पुत्री हरदयाल त्नी श्रीराम आयु 50 साल
14. सिमली पुत्री हरदयाल पत्नी श्योराम आयु 37 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी चनेजा, जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल ग्राम जिलो, पाटन तहसील नीमकाथाना। जिला सीकर, राज0
15. सजना पुत्री हरदयाल पत्नी [illegible] आयु [illegible] साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी चनेजा, जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला [illegible] राज0 हाल ग्राम जिलो, पाटन तह0 नीमकाथाना
16. भागली पत्नी माड़ु आयु 82 साल
17. रामेश्वर पुत्र माड़ु आयु 52 साल
18. रामोतार पुत्र माड़ु आयु 50 साल
19. घमनाराम पुत्र माड़ु आयु 47 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

20. मनीराम पुत्र माडु आयु 44 साल जाति गुर्जर निवासी माताजी की ढाणी, जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
21. कैलाशी पुत्री माडु पत्नी स्व. बचनाराम आयु 42 साल जाति गुर्जर निवासी माताजी की ढाणी, जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद ताल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
22. सुन्दरी देवी पत्नी स्व. मातुराम आयु 55 साल
23. राजेश पुत्र स्व. मातुराम आयु 32 साल
24. ओमप्रकाश पुत्र स्व. मातुराम आयु 30 साल जाति गुर्जर निवासी माताजी की ढाणी, जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
25. सुमन पुत्री स्व. मातुराम आयु 28 साल पत्नी बबलू जाति गुर्जर निवासी भिटेरा
26. पितराम पुत्र बैजू आयु 56 साल
27. तेजाराम पुत्र बैजू आयु 50 साल
28. पीरू पुत्र नाथा आयु 88 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी चजेता, जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
29. लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा— अधिकार घोषणा एवं खाता विभाजन

—:निर्णय :— **दिनांक 01—04—2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15—09—2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 667 खसरा नंबर 1577, 1578, 1579, 1580, 1622, 1625, 1626, 1730, 1732, 1733, 1736, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1744, 1745, 1746, 1747, 2347/1747 कुल किता 21 कुल रकबा 10.18 है. में मृतक खातेदार प्रभाती देवी पत्नि श्योनारायण हिस्सा 1/8 को हजफ किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार वादीगण के 1/4 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.9.2014 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2021/458 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

15.02.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण की विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. अ–4') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. अ–4') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. अ–4') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. अ–4') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:33 IST
Reason: SelfAttested